भारत सरकार/ GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS
रेलवे बोर्ड / RAILWAY BOARD

(Commercial Circular No. 04 of 2018)

No.TC-II/2196/2016/Deaf&Dumb New Delhi, dated 12 .01.2018

The Principal Chief Commercial Manager,
All Zonal Railways.

Managing Director,
CRIS, Chanakyapuri, New Delhi.

CMD, IRCTC, New Delhi

Sub: Replacement of the words Blind, Deaf and Dumb

As per IRCA Coaching Tariff No. 26 Part-I (Vol.II) concession is admissible to completely blind persons, Deaf and Dumb persons (both afflictions together in the same person).

2. Ministry of Railways have now decided to replace the following words which are appearing in Rule No.101, Sl.No. 9 (1) (2) (3), 28, and Appendix 1/45 of IRCA Coaching Tariff No. 26, Part-I, Vol.II with new one to describe the nature of disability However, the other rules and regulations applicable for the 'Persons with Disabilities' shall remain the same.

S.No.	Existing word	To be replaced by
1	Blind	Person with Visual Impairment with total absence of sight
2	Deaf and Dumb	Person with Hearing and Speech Impairment totally (Both afflictions together in the same person)
3	Physically Challenged	Persons with Disabilities (Divyangjan)

The revised proforma for the certificate is enclosed herewith. The certificate already issued in the old proforma shall remain valid till the expiry of the validity period.

3. This will be implemented with effect from 01.02.2018.

4. Other terms and conditions shall remain the same.

5. CRIS, IRCTC & Zonal Railways may update the revised proforma on their website.

6. Zonal Railways may print the revised proforma and make available at all locations/ stations to avoid inconvenience. .Necessary instructions shall be issued to the all concerned.

(Shelly Srivastava)
Director Passenger Marketing
Railway Board

........2/-

Copy forwarded for information & necessary action to:

1. CCM (PM)s, All Indian Railways.
2. CRB, MT, FC, Secretary, DG/RHS, Railway Board. AM(B), PED (Finance), AM(IT), AM(C), ED (Vig), ED(A), EDF(C), ED(Chg.), ED(C&IS), EDTC(R), EDV(T), ED/Safety, DPR, JDTC(G) AND TC(CR), V(SS), PR, TG-I, TG-IV TG-V, & F(C) Branches, Railway Board.
3. MD, Centre for Railway Information System (CRIS), Chanakyapuri, New Delhi, for making necessary changes in the PRS and UTS softwares and website.
4. MD, IRCTC, 9th Floor, Bank of Baroda Building, 16, Sansad Marg, New Delhi for making necessary changes in IRCTC website..
5. Director General, Railway Staff College, Vadodara.
6. Managing Director, Konkan Railway Corporation Ltd., Belapur Bhavan, Plot No. 6, Sector 11, CBD Belapur, Navi Mumbai – 400 014.
7. General Manager, Metro Railway, 33/1, J.L. Nehru Road, Kolkata.
8. Chief Commissioner of Railway Safety, Lucknow.
9. General Secretary, IRCA, Chelmsford Road, New Delhi for issue of necessary correction slip to Coaching Tariff No. 26 part-I (Vol.II)

(Shelly Srivastava)
Director Passenger Marketing
Railway Board

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD

(2018 का वाणिज्यक परिपत्र सं.04)

सं.टीसी-II/2196/2016/डेफ एंड डंब — नई दिल्ली, दिनांक 12.01.2018

प्रधान मुख्य वाणिज्यक प्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें।

प्रबंध निदेशक,
क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।

सीएमडी, आईआरसीटीसी, नई दिल्ली

विषय: नेत्रहीन, मूक और बधिर शब्दों को प्रतिस्थापित करना।

आईआरसीए कोचिंग टैरिफ सं. 26 पार्ट-I (वॉल.II) के अनुसार पूरी तरह से नेत्रहीन व्यक्तियों, मूक और बधिर व्यक्तियों (एक ही व्यक्ति में दोनों अक्षमताएं) के लिए रियायत स्वीकार्य है।

2. रेल मंत्रालय ने निम्नलिखित शब्दों, जो आईआरसीए कोचिंग टैरिफ सं.26, पार्ट-I, वॉल.II के नियम सं.101 क्र.सं.9 (1) (2) (3), 28 और परिशिष्ट 1/45 में दिए गए हैं, को निशक्तता व्यक्त करने वर्णन के लिए नए शब्दों से प्रतिस्थापित करने का विनिश्चय किया है। बहरहाल, 'निशक्तजनों' के लिए लागू अन्य नियम और विनियम वही रहेंगे।

क्र.सं.	मौजूदा शब्द	के द्वारा प्रतिस्थापित
1.	नेत्रहीन	पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित व्यक्ति
2.	मूक और बधिर	पूर्ण रूप से श्रवण एवं वाग् दोष युक्त व्यक्ति (एक ही व्यक्ति में दोनों अक्षमताएं)
3.	शारीरिक रूप से अक्षम	दिव्यांगजन

इसके साथ प्रमाणपत्र का संशोधित प्रोफार्मा संलग्न है। पुराने प्रोफार्मा में जारी किए गए प्रमाणपत्र वैधता अवधि के समाप्त होने तक वैध रहेंगे।

3. इसे 01.02.2018 से कार्यान्वित किया जाएगा।

4. अन्य निबंधन तथा शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

5. क्रिस, आईआरसीटीसी एवं क्षेत्रीय रेलें अपनी वेबसाइट पर संशोधित प्रोफार्मा को अपडेट करें।

6. क्षेत्रीय रेलें असुविधा से बचने के लिए संशोधित प्रोफार्मा का प्रिंट निकालकर सभी स्थानों/स्टेशनों पर उपलब्ध कराएं। सभी संबंधितों को आवश्यक अनुदेश जारी किए जाएं।

(शैली श्रीवास्तव)
निदेशक यात्री विपणन
रेलवे बोर्ड

सूचना एवं आवशयक कार्रवाई हेतु प्रतिलिपि प्रेषित:

1. सीसीएम(पीएम), सभी भारतीय रेलें।
2. सीआरबी, एमटी, एफ़सी, सचिव, महानिदेशक/आरएचएस, रेलवे बोर्ड, अपर सदस्य (बी), सलाहकार (वित्त), अपर सदस्य(सूचना प्रौद्योगिकी), अपर सदस्य (सी), सलाहकार (सतर्कता), कानि (ए), कानिएफ (सी), का नि (चेंज़िंग), का नि (सी एवं आईएस), कानिटीसी (आर), कानिवी (टी), का नि/संरक्षा, डी पी आर, जेडीटीसी (जी), और रेलवे बोर्ड की टीसी(सी आर), वी(एस एस), पीआर, टीजी-I, टीजी-IV, टीजी-V एवं एफ(सी) शाखाएँ।
3. पीआरएस और यूटीएस सॉफ्टवेर और वेबसाइट में आवश्यक बदलाव हेतु प्रबंध निदेशक, रेलवे सूचना प्रणाली कैंद्र (क्रिस), चाणक्यपुरी, नई दिल्ली को।
4. प्रबंध निदेशक, आईआरसीटीसी, 9वां तल, बैंक ऑफ बड़ौदा भवन, 16, संसद मार्ग, नई दिल्ली को आईआरसीटीसी में आवश्यक बदलाव हेतु।
5. महानिदेशक, रेलवे स्टाफ कॉलेज, वडोदरा।
6. प्रबंध निदेशक, कौंकण रेलवे कार्पोरेशन लिमिटेड, बेलापुर भवन, प्लॉट सं.6, सेक्टर 11, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई - 400 014
7. महाप्रबंधक, मेट्रो रेलवे, 33/1, जे.एल. नेहरू रोड, कोलकाता।
8. रेल संरक्षा मुख्य आयुक्त, लखनऊ।
9. जनरल सेक्रेटरी, आईआरसीए, चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली को कोचिंग टैरिफ सं. 26 पार्ट-I (वॉल.II) के लिए आवश्यक शुद्धि पत्र जारी करने हेतु।

(शैली श्रीवास्तव)
निदेशक यात्री विपणन
रेलवे बोर्ड